

प्रपत्र संख्या 1.5

बरसात में पहाड़ी नदी से जो बजरी, बोल्टर, रेता/मोरम आदि उपखनिज बह कर आता है वह नदी की तलहटी में जमा हो जाता है जिसकी निकासी न होने के कारण नदी की धारा का रुख परिवर्तित हो जाता है तथा आस पास स्थित आवादी को खतरा उत्पन्न होने की आशंका होती है यदि इन क्षेत्र में उपखनिज की निकासी नहीं की जाती है तो क्षेत्र के तलहटी में निरन्तर उपखनिज जमा हो जाने के कारण नदी की धारा का रुख बदलने और नदी के किनारे में स्थित आवादी के क्षेत्रों को बाढ़ से प्रभावित होने की आशंका रहेगी। अतः नदी के किनारे के भू-रक्षण एवं जल प्रवाह को नियंत्रित रखने की दिशा में नदी के तलहटी में जमा उपखनिज की निकासी किया जाना प्राविधिक दृष्टि से नितान्त आवश्यक है।

उपखनिज प्राकृतिक कारणों से नदी की तलहटी में एकत्रित होता है जो कि वन भूमि में है। अतः इस कार्य के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर चुगान कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।


(२५० के० टादब)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन),
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून।


DEO